

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-08/2020

GCM5-No 2020/00022

उनवान -सरकार बनाम सुमेरसिंह पुत्र श्री सूरजभानसिंह विक्रेता एवं मालिक प्रो0
मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -07.10.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री आसिम दीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अलवर ने अभियुक्त श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री सूरजभानसिंह निवासी मोटे हनुमानजी के पास धौलपुर विक्रेता व मालिक प्रो0 मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2019 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान दुकान पर लगभग 5 किलोग्राम राजभोग छैना मिठाई आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त राजभोग छैना मिठाई में मिलावट का शक होने पर उक्त राजभोग छैना मिठाई में से 2 किलोग्राम राजभोग छैना मिठाई वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त राजभोग छैना मिठाई नमूना डी-1578 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जाँच रिपोर्ट एलएस/198/एसीटी/2019/211 दिनांक 03.04.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया राजभोग छैना मिठाई सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड राजभोग छैना मिठाई का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड राजभोग छैना मिठाई बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री सूरजभानसिंह निवासी मोटे हनुमानजी के पास धौलपुर विक्रेता व मालिक प्रो0 मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 2500/-रुपये (दो हजार पाँच सौ रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कौशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)